ई–मेल/स्पीड पोस्ट

सं. 6049/यूपीनेडा–एसई/800 मे.वा.चित्रकूट /टुस्को लि0/सरकारी भूमि लीज/2023
उ.प्र. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण,
विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ
दिनॉक: 23/02/,2024

प्रेषक,

निदेशक,
यूपीनेडा।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
जनपद चित्रकूट।

विषयः टुस्को लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे 800 मेगावाट चित्रकूट सोलर पार्क हेतु ग्राम0– अतरी मजरा,सेमरा,गोइया कला,गोइया खुर्द एवं बरगढ़, तहसील–मऊ, जनपद–चित्रकूट में चिन्हांकित 294.61 एकड़ सरकारी भूमि को लीज पर उपलब्ध कराने के संबंध में।

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या 4164/भूमि व्यवस्था/2023 दिनांक 06.01.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा टुस्को लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे 800 मेगावाट चित्रकूट सोलर पार्क हेतु ज़नपद चित्रकूट, तहसील–मऊ के 05 राजस्व ग्रामों (अतरी मजरा, सेमरा,गोइया कला, गोइया खुर्द एवं बरगढ़) में चिन्हांकित कुल 294.61 सरकारी भूमि को अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग उ0प्र0 शासन के पक्ष में पुनर्ग्रहित की गयी है एवं लीज रेंट की धनराशि जमा करने हेतु सूचित किया गया है।

उक्त के क्रम में सूचनीय है कि अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग उ0प्र0 शासन द्वारा शासनादेश संख्या 1050/87–अति0ऊ0स्रो0वि0/2023 दिनांक 03 अगस्त,2023 (प्रति सलंग्न) द्वारा सौर ऊर्जा नीति–2022 के अन्तर्गत सौर पावर परियोजनाओं की स्थापना के लिए निवेशकों को सरकारी भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु दिशा–निर्देश निर्गत किये है।

शासनादेश के बिन्दु संख्या 01 के अनुसार सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिये निजी क्षेत्र के निवेशको को रू. 15000/– प्रति एकड़/प्रतिवर्ष के लीज रेन्ट पर तथा सार्वजनिक उपक्रमों हेतु रू0 1.00 प्रति एकड़/प्रतिवर्ष के सांकेतिक मूल्य पर लीज पर 30 वर्षो के लिए भूमि उपलब्ध करायी जायेगी।

शासनादेश के बिन्दु संख्या 08 उल्लेखित है कि अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के पास जो भूमि उपलब्ध होगी उसे प्रथम आवक प्रथम पावक के आधार पर लीज पर दिये जाने के लिए प्रस्तावित की जायेगी। निवेशक द्वारा एक महीने के अन्दर अपनी फाइनेन्शियल नेटवर्थ, डीपीआर, बैकवर्ड एण्ड फारवर्डलिंकेज तथा अन्य सुसंगत विवरण यूपीनेडा के समक्ष प्रस्तुत करने होगे। उसके बाद ही उच्च स्तरीय समिति के अनुमोदन के उपरांत लीज डीड निष्पादित की जा सकेगी।

उपरोक्त के क्रम में शासन के कार्यवृत्त पत्र संख्या 252/87– अति0ऊ0 स्रो0वि0 /2024 दिनांक 15.02.2024 (प्रति सलंग्न) के बिन्दु 1 के अनुसार टुस्को लिमिटेड को 800 मेगावाट चित्रकूट सोलर पार्क की स्थापना हेतु चित्रकूट सोलर पार्क हेतु जनपद चित्रकूट, तहसील–मऊ के 05 राजस्व ग्रामों (अतरी मजरा, सेमरा,गोइया कला, गोइया खुर्द एवं बरगढ़) में चिन्हांकित कुल 294.61 सरकारी भूमि सरकारी भूमि को सौर ऊर्जा नीति–2022 के अन्तर्गत रू. 1.00 प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से 30 वर्ष की लीज पर दिये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है ।

टुस्को लि0 द्वारा अपने पत्र संख्या टुस्को/एलकोओ/सोलर/2023 –24 /1158 दिनांक 23.01.2024 के द्वारा वार्षिक लीज रेंट की धनराशि (295 एकड़ X Rs. 01) कुल रू. 295.00 (रू0 दो सौ पन्चानबे मात्र) को यूपीनेडा में जमा कराया गया है। टुस्को लि0 द्वारा 800 मेगावाट चित्रकूट सोलर पार्क हेतु जमा की गयी लीज रेंट की वार्षिक धनराशि रू. 295.00 को राजकोष लेखाशीर्षक"0029–भूराजस्व–800–अन्य प्राप्तियां–08–मालकाना–राजस्व– 0806 प्रकीर्ण प्राप्तियां" में जमा कर दिया गया है (चालान की प्रति सलंग्न)।

अस्तु उपरोक्त के दृष्टिव्य आपसे अनुरोध है कि टुस्को लि0 को 800 मेगावाट चित्रकूट सोलर पार्क की स्थापना हेतु जनपद चित्रकूट, तहसील–मऊ के 05 राजस्व ग्रामों (अतरी मजरा, सेमरा,गोइया कला, गोइया खुर्द एवं बरगढ़) में चिन्हांकित कुल 294.61 सरकारी भूमि को लीज पर दिये जाने संबंधित आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

सलंग्नकः–यथोक्त।

भवदीय,

(अनुपम शुक्ला)
निदेशक,यूपीनेडा।

प्रतिलिपिः–1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, टुस्को लि0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2. परियोजना अधिकारी, चित्रकूट को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जिलाधिकारी महोदय से सम्पर्क कर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(अनुपम शुक्ला)
निदेशक,यूपीनेडा।